न्यायालय,कलेक्टर,जिला-धार (म.प्र.)

61

प्रकरण क्रमांक 204/15-16/अ-19(3)

म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग,
द्वारा- आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र. भोपाल ... आवेदक
विरूद्ध
म.प्र.शासन .. अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 08/03/2017 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के ज्ञाप क्रमांक शिक्षा शाला/2ख/51/2016/14040-41 भोपाल दिनांक 29.06.2016 एवं परियोजन संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 49-6/2016/टी.डब्ल्यू.डी/कार्य-2/पीडी/2012 दिनांक 30.06.2016 के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार कन्या शिक्षा परिसर संचालन हेतु ग्राम गंधवानी में भवन निर्माण के लिये लगभग 15 से 20 एकड भूमि की आवश्यकता होने से भूमि का चयन कर उपलब्ध/आवंटित किये जाने का लेख किया है।

2. प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार गंधवानी को जॉच प्रतिवेदन के लिये भेजा गया। तहसीलदार द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 06.12.2016 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर के माध्यम से प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम गंधवानी स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 193/1 क्षेत्रफल 1.285 हैक्टेयर मद निस्तार, खसरा क्रमांक 193/2 क्षेत्रफल 0.485 हैक्टेयर मद आबादी एवं खसरा क्रमांक 456 क्षेत्रफल 3.022 हैक्टेयर मद आबादी पर नवीन कन्या शिक्षा परिसर हेतु प्राचार्य के प्रतिनिधि श्री एस.एस. सोलंकी के साथ स्थल निरीक्षण कर उक्त भूमि का चयन किया जाकर हस्तांतरण के प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित किये गये। विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक गंधवानी से मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। राजस्व निरीक्षक गंधवानी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया कि ग्राम गंधवानी में कन्या शिक्षा परिसर के लिये 15 से 20 एकड की भूमि चाही गई है, किन्तु खसरा क्रमांक 193/1, 193/2 व 456 क्रमशः क्षेत्रफल क्रमांक 1.285 हैक्टेयर, क्षेत्रफल 0.485 हैक्टेयर, एवं क्षेत्रफल 3.022 हैक्टेयर की भूमि कुल भूमि 4.792 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त होकर कोई बसाहट नही है। उक्त रिक्त भूमि पर किसी प्रकार का ले आउट नही डला है। उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य पडौसी ग्राम में भूमि विभाग प्रमुख को दिखलाई गयी, किन्तु ग्राम गंधवानी से दुरी 4 से 5 किमी से अधिक होने के कारण अनुपयुक्त बतलाई गई। ग्राम गंधवानी में कुल आबादी की भूमि क्षेत्रफल 21.815 हैक्टेयर है। जिसमें से क्षेत्रफल 3.507 हैक्टेयर भूमि आवंटन के पश्चात् क्षेत्रफल 18.308 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंधवानी के प्राचार्य गुलसिंह कवचे एवं उनके सहयोगी श्री हरेसिंह सोलंकी द्वारा भूमि चयनित कर भूमि उपयुक्त बतायी गयी तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। चयनित भूमि ग्राम गंधवानी खसरा क्रमांक 193/1, 193/2 एवं 456 क्षेत्रफल क्रमशः 1.285 हैक्टेयर मद निस्तार, क्षेत्रफल 0.485 हैक्टेयर मद आबादी (गांवठान) एवं क्षेत्रफल 3.022 हैक्टेयर आबादी (गांवठान) कुल भूमि 4.792 हैक्टेयर उपलब्ध होकर कन्या शिक्षा परिसर हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त भूमि आवंटन हेतु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम का कुल क्षेत्रफल 620.734 हैक्टेयर। ग्राम में शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 112.026 हैक्टेयर ग्राम में खाते का क्षेत्रफल 518.708 हैक्टेयर है। ग्राम में 2 प्रतिशत चरनोई भूमि का क्षेत्रफल 20.920 हैक्टेयर आवेदित भूमि चरनोई मद में से वंटित प्रस्तावित नही है। तहसीलदार के जाँच प्रतिवेदन आदेशिका दिनांक 06.12.2016 अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर-धरमपुरी द्वारा आदेशिका दिनांक 07.01.2017 से आवेदित भूमि हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है।

...2.....

No. 204/2015-16/A-19(3)

प्रकरण क्रमांक 204/15—16/अ—19(3) 69

...2...

3. अपर कलेक्टर (राजस्व) जिला धार द्वारा प्रकरण पत्रिका का परीक्षण कर अपनी आदेशिका से ग्राम गंधवानी की आवेदित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 193/1 क्षेत्रफल 1.285 हैक्टेयर निस्तार चरनोई, खसरा क्रमांक 193/2 क्षेत्रफल 0.485 हैक्टेयर मद आबादी एवं खसरा क्रमांक 456 क्षेत्रफल 3.022 हैक्टेयर मद आबादी की नोईयत म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के अंतर्गत कम की जाकर पडत कदीम में परिवर्तित की जाने एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 के अंतर्गत म.प्र. शासन आयुक्त आदिवासी विकस विभाग म.प्र. भोपाल को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर गंधवानी हेतु ग्राम गंधवानी में नवीन कन्या शिक्षा परिरार भवन निर्माण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा की है।

4. अतः तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर की अनुशंसा एवं अपर कलेक्टर की परीक्षण आदेशिका के आधार पर म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (3) के अंतर्गत ग्राम गंधवानी की आवेदित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 193/1 क्षेत्रफल 1.285 हैक्टेयर निस्तार चरनोई, खसरा क्रमांक 193/2 क्षेत्रफल 0.485 हैक्टेयर मद आबादी एवं खसरा क्रमांक 456 क्षेत्रफल 3.022 हैक्टेयर मद आबादी को परिवर्तित की जाकर पडत कदीम घोषित की जाती है, एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 के अंतर्गत म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त आदिवासी विकस विभाग म.प्र. भोपाल को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर गंधवानी हेतु ग्राम गंधवानी में नवीन भवन निर्माण हेतु हस्तांतरित की जाती है।

08/03/17

(श्रीमन् शुक्ला)
कलेक्टर
जिला—धार म.प्र.

पृ.क्र. 87 /रीडर—1/17 धार, दिनांक 08-03-17

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल की ओर सूचनार्थ
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आवेदित शासकीय भूमि का अविलम्ब कब्जा प्राप्त करने हेतु अपने अधिनस्थ सक्षम अधिकारी को प्राधिकृत कर तहसीलदार से भूमि का कब्जा प्राप्त कर, कब्जा रसीद सौपने हेतु निर्देशित करे।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर जिला धार की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार,तहसील, गंधवानी की ओर उपर्युक्त प्रकरण सहित भेजकर लेख है कि आदेशानुसार हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपें एवं शासकीय अभिलेख कागजात खसरा, नक्शे में अमल—दरामद किया जाकर, खसरा पांच साला,नक्शा ट्रेस जिसमें हस्तांतरित की गई भूमि लाल स्याही से पृथक से दर्शाई जावे एवं कब्जा रसीद सहित प्रकरण वापिस लौटावें।

कलेक्टर
जिला धार म.प्र.

संलग्नः—प्रकरण क्रमांक 204/15—16/अ—19(3)
अनु. 6 के लिये।